न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़ जिला–भीलवाडा राज.

पीठासीन अधिकारीः– झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 33 / 2022

उनवान

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व. श्री गणेश जी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.) दरोगा आयु वयस्क निवासी– मूणपुरा मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   1. पप्पू सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   2. उदय लाल पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   3. राधेश्याम सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   4. दीरा लाल पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   5. प्रेम सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   6. लाड बाई पुत्री स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   7. हरकू पुत्री स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

———वादीगण

बनाम

1. लादू लाल पुत्र श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. देऊ पुत्री श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. रतनी पुत्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती चन्दु पत्नी श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.
6. राजस्थान राज्य जरिए उपपंजीयक, पंजीयन हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ———अधिक्ता वादीगण
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ़
अनुपस्थित :– श्री श्यामलाल गुर्जर ———अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 14

निर्णय

दिनांक : 18.04.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया बदाम देवी ने एक निर्धारित दावा पत्र बावत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इंद्राज दुरूस्तीकरण विरूद्ध प्रतिवादीगण का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद ग्राम हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) स्थित आराजी संख्या 528/2, कुल रकबा 0.1138 हेक्टेयर (पूर्व में 15 बिस्वा) भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से 09 बिस्वा भूमि वादीया बदाम देवी ने दिनांक 02 सितम्बर 2011 को रुपा पुत्र श्री बरदा गुर्जर, निवासी हमीरगढ़ (जो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पति थे) से विधिवत पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से नियमानुसार समस्त वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर क्रय की थी। विक्रयपत्र के निष्पादन के समय सम्पूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान कर दिया गया था तथा विक्रेता द्वारा विधिवत कब्जा वादीया बदाम देवी को सौंप दिया गया। तब से वादीया बदाम देवी निरंतर, शांतिपूर्वक, सार्वजनिक रूप से एवं बिना किसी बाधा के उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि/उपयोग–उपभोग करती आ रही है, जिसकी जानकारी आस–पड़ोस के व्यक्तियों एवं प्रतिवादीगण को भली–भांति है। वादीया बदाम देवी एक ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला होने के कारण उसने विक्रयपत्र की प्रति पटवार हल्का कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण (इंतकाल) दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की थी। पटवारी द्वारा वादीया बदाम देवी को यह विश्वास दिलाया गया कि नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी, जिससे वादीया बदाम देवी यह मान बैठी कि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है। किन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही, उदासीनता एवं त्रुटि के कारण वादीया बदाम देवी के नाम नामांतरण दर्ज नहीं किया गया। इस बीच विक्रेता रुपा जी का देहांत हो गया, जिसके पश्चात संपूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज हो गई। यह प्रविष्टि तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 09 बिस्वा भूमि पूर्व में ही वादीया बदाम देवी को विधिवत विक्रय की जा चुकी थी। आगे यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुल 15 बिस्वा भूमि में से 06 बिस्वा भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में शेष विवादित 09 बिस्वा भूमि ही बची है, जो वास्तविक रूप से वादीया बदाम देवी के कब्जे एवं स्वामित्व में है। वादीया बदाम देवी यह भी निवेदन करती है कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मौके पर आए और उन्होंने वादीया बदाम देवी को उसकी काबिज भूमि से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया तथा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए वादीया बदाम देवी को धमकाया कि वे उक्त भूमि को विक्रय, अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर देंगे एवं वादीया बदाम देवी के कब्जे को समाप्त कर देंगे। उक्त घटना के पश्चात वादीया बदाम देवी

ने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त कर जांच की, जिससे यह तथ्य सामने आया कि नामांतरण वादीया बदाम देवी के नाम दर्ज नहीं हुआ है। वादीया बदाम देवी का कब्जा वास्तविक, सतत, खुला एवं निर्विवाद रहा है और वह क्रय दिनांक से आज तक भूमि का उपयोग–उपभोग करती आ रही है, जिससे उसका अधिकार पूर्णतः स्थापित होता है। प्रतिवादीगण का आचरण अवैध, अनुचित एवं वादीया बदाम देवी के वैध अधिकारों के प्रतिकूल है।

वादीया यह निवेदन करती है कि उक्त वाद अत्यावश्यक प्रकृति का है, क्योंकि यदि वादीया धारा 80 सी.पी.सी. के अंतर्गत राज्य सरकार को पूर्व नोटिस देकर दो माह की प्रतीक्षा करती है, तो इस अवधि में प्रतिवादीगण वादीया को भूमि से बेदखल कर सकते हैं अथवा भूमि का विक्रय/हस्तांतरण कर सकते हैं, जिससे वादीया बदाम देवी को अपूरणीय क्षति होगी एवं वाद निरर्थक हो जाएगा। अतः धारा 80(2) सी.पी.सी. के अंतर्गत बिना पूर्व नोटिस के वाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादीया प्रार्थना करती है कि वादीया बदाम देवी को आराजी संख्या 526/2, रकबा 0.1138 हेक्टेयर में से 09 बिस्वा भूमि की वैध स्वामिनी घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाकर वादीया के नाम नामांतरण दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए तथा वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए जिससे वे वादीया को उक्त भूमि से बेदखल न करें, न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें एवं न ही भूमि का विक्रय, रहन या हस्तांतरण करें।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 16.06.2022 को विधिवत् रूप से न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को समुचित रूप से सम्मन जारी कर तलब किये गए। सम्मन विधिपूर्वक बाद तामील हुए। परंतु नियत तिथि को सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण अथवा उनके नियुक्त अधिवक्ता गैरहाजिर रहने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। प्रकरण के विचारण के दौरान वादीगण पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप मृतक वादीया बदाम देवी के विधिक वारिसानों को प्रकरण में प्रार्थनापत्रानुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रम शहादत्त वादीगण हेतु नियत किया गया, जिसमें नियत चरण में दावे के समर्थन में गवाहों के शपथपत्रों तथा संलग्न राजस्व अभिलेखों पर लाल स्याही से आवश्यक अंकन कराया गया। तत्पश्चात वादीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस के

दौरान अपने अभिवचनों के माध्यम से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए वादपत्र के मंजूर किए जाने का अनुरोध प्रस्तुत किया।

प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत विचार करते हुए, अदालत ने पाया कि वादीया बदाम देवी (अब मृतक, जिनके विधिक वारिस वर्तमान वादियों के रूप में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर पक्षकार के रूप में संयोजित किए गए हैं) ने दिनांक 02.09.2011 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व. रूपा पुत्र श्री बरदा गुर्जर से सरहद हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 526/2, कुल रकबा 0.1138 हेक्टेयर (पूर्व में 15 बिस्वा) की भूमि में से 09 बिस्वा भूमि का विधिवत पंजीकृत विक्रयपत्र (Registered sale deed) के माध्यम से क्रय किया था। विक्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था तथा विक्रेता द्वारा कब्जा भी सौंप दिया गया था। वादियों ने अपने समर्थन में पंजीकृत विक्रयपत्र, कब्जे का साक्ष्य तथा गवाहों के शपथपत्र प्रस्तुत किए, जिनमें आस–पड़ोस के व्यक्तियों ने क्रय तिथि से निरंतर, शांतिपूर्वक, सार्वजनिक रूप से एवं बिना किसी बाधा के कब्जे की पुष्टि की। वादीया एक ग्रामीण अशिक्षित महिला होने के कारण विक्रयपत्र की प्रति पटवारी कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण दर्ज कराने हेतु आवेदन किया था, किंतु पटवारी द्वारा विश्वास दिलाए जाने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही, उदासीनता एवं त्रुटि के कारण नामांतरण दर्ज नहीं हो सका। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पंजीकृत विक्रयपत्र स्वामित्व का प्राथमिक प्रमाण है, जबकि Mutation केवल राजस्व उद्देश्यों के लिए होता है और यह Title का सृजन या समाप्ति नहीं करता। स्व. रूपा की मृत्यु के पश्चात् संपूर्ण भूमि प्रतिवादियों के नाम दर्ज होने की प्रविष्टि को अदालत ने तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण घोषित किया।

अदालत ने विस्तार से विश्लेषण किया कि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण न होने का दोष वादीया की ओर से नहीं, बल्कि राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वादीया ने विक्रयपत्र के निष्पादन के तुरंत बाद आवश्यक कार्यवाही की थी। प्रतिवादियों ने कुल 15 बिस्वा भूमि में से 06 बिस्वा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी, जिससे विवादित 09 बिस्वा भूमि वादीया के कब्जे में शेष रही। वादीयों द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथपत्रों (PW-1 से PW-6) तथा अन्य दस्तावेजों से सिद्ध हुआ कि कब्जा क्रय तिथि से आज तक निरंतर, निर्विवाद, खुला एवं बिना किसी बाधा के बना रहा, जो स्वामित्व की पुष्टि करता है। प्रतिवादियों का मौके पर आकर जबरन बेदखली का प्रयास करना तथा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए धमकी देना कि वे भूमि को विक्रय, रहन या हस्तांतरित कर देंगे, अदालत द्वारा अवैध, अनुचित एवं वादियों के वैध अधिकारों के प्रतिकूल पाया गया। अदालत ने राजस्थान टेनेंसी

एक्ट के प्रावधानों का भी संदर्भ लिया, जिसमें पंजीकृत दस्तावेज द्वारा हस्तांतरण विधिमान्य होता है। प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में प्रस्तुत एकतरफा साक्ष्य को पर्याप्त एवं विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वादीयों का दावा पूर्णतः सिद्ध हुआ है।

वादीया बदाम देवी की मृत्यु के पश्चात् आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के अंतर्गत उनके विधिक वारिसों को प्रार्थनापत्र स्वीकार कर पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया, जिससे वाद में निरंतरता बनी रही तथा अधिकार का उत्तराधिकार सुरक्षित रहा। अदालत ने धारा 80(2) सी.पी. सी. के अंतर्गत बिना पूर्व दो माह के नोटिस के वाद स्वीकार किया, क्योंकि वाद अत्यावश्यक प्रकृति का था प्रतिवादियों द्वारा बेदखली या भूमि के हस्तांतरण का स्पष्ट खतरा था, जिससे वादियों को अपूरणीय क्षति होती। अदालत ने इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया कि धारा 80(2) सी.पी. सी. का प्रावधान ठीक ऐसी आपात स्थितियों के लिए है, जहां तत्काल राहत आवश्यक हो। वादीयों के दस्तावेजों एवं शपथपत्रों को पर्याप्त मानते हुए तथा प्रतिवादियों की ओर से कोई लिखित बयान, साक्ष्य या प्रतिवाद प्रस्तुत न होने के कारण अदालत ने वाद को एकतरफा साक्ष्यों पर आधारित कर स्वीकार्य माना।

अदालत ने समस्त तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों (विक्रयपत्र, शपथपत्र), गवाहों के बयानों, राजस्व अभिलेखों की नकल तथा विधिक प्रावधानों का बारीक विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना त्रुटिपूर्ण है तथा वादियों का स्वामित्व एवं कब्जा वैध एवं स्थापित है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि वादीया की अशिक्षा एवं ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं थी, बल्कि राजस्व कर्मचारीगण की उदासीनता जिम्मेदार है। एकतरफा कार्यवाही के बावजूद साक्ष्यों की गुणवत्ता एवं निरंतर कब्जे के प्रमाण से वाद पूर्णतः सिद्ध हुआ। अदालत ने विधि के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रतिवादियों को उचित अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी गैरहाजिरी को उनके पक्ष को कमजोर करने वाला माना।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादीयों को ग्राम हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) स्थित आराजी संख्या 526/2, में से 09 बिस्वा भूमि के वैध स्वामी/सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम राजस्व अभिलेखों (जमाबंदी एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड) से हटाकर वादीयों के नाम नामांतरण दर्ज करने का आदेश

संबंधित राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/पटवारी) को तत्काल देने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए, जिससे वे वादीयों को उक्त भूमि से बेदखल न करें, कोई हस्तक्षेप न करें तथा भूमि का विक्रय, रहन, हस्तांतरण या अन्य किसी प्रकार का व्ययन न करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री तैयार की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़

सहायक कलक्टर हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः— झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 33 / 2022

उनवान

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व. श्री गणेश जी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.) दरोगा आयु वयस्क निवासी— मूणपुरा मृतक के बजाय कायम मुकाम—
   1 पप्पू सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   2 उदय लाल पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   3 राधेश्याम सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   4 दीरा लाल पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   5 प्रेम सिंह पुत्र स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   6 लाड बाई पुत्री स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
   7 हरकू पुत्री स्व. श्री गणेश सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

———वादीगण

बनाम

1 लादू लाल पुत्र श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
2 देऊ पुत्री श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
3 रतनी पुत्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
4 श्रीमती चन्दु पत्नी श्री रूपा गुर्जर आयु वयस्क निवासी— मूणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
5 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.
6 राजस्थान राज्य जरिए उपपंजीयक, पंजीयन हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ———अधिक्ता वादीगण
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ़

अनुपस्थित :— श्री श्यामलाल गुर्जर ———अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 14

दिनांक : 16.04.2026

वाद–पत्र अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार जारी की जाती है कि वादीयों को ग्राम हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) स्थित आराजी संख्या 526/2, में से 09 बिस्वा भूमि के वैध स्वामी/सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम राजस्व अभिलेखों (जमाबंदी एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड) से हटाकर वादीयों के नाम नामांतरण दर्ज करने का आदेश संबंधित राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/पटवारी) को तत्काल देने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए, जिससे वे वादीयों को उक्त भूमि से बेदखल न करें, कोई हस्तक्षेप न करें तथा भूमि का विक्रय, रहन, हस्तांतरण या अन्य किसी प्रकार का व्ययन न करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री तैयार की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 16.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ़